डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

मनोहरी पुत्र श्री मंगल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. श्यामलाल | पिसरान गोरे
2. विष्णु |
3. बाबूलाल दत्तक पुत्र कुन्दन
4. जगन्नाथ पुत्र उमदी (मृतक)

4/1. लखन | पिसरान जगन्नाथ
4/2. ओमप्रकाश |
4/3. अखलेश |
4/4. मु0 कैलाशी |
4/5. मु0 झांजन बेबा जगन्नाथ

5. हरिमोहन पुत्र उमेदी – मृतक
6. रामनिवास पुत्र हरज्ञान –मृतक

6/1. सुरेद्र | पिसरान रामनिवास
6/2. मनोज |
6/3. सुनील |
6/4. संजय |
6/5. विधा बेबा रामनिवास

7. राधेश्याम | पिसरान हरज्ञान
8. महेश |
9. गजानंद |
10. घनश्याम |
11. जमुना |
12. जैशिव |
13. केदार | पिसरान प्रभू
14. राधारमन |
15. छोटेलाल |

सभी जातियान ब्राहम्ण निवासियान खेडीहैवत तहसील हिण्डौन

16. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् तकास्मा मुकदमा नं0 181/2003

इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.08.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 181/2003 तारीख रजू:– 08.12.2003

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

मनोहरी पुत्र श्री मंगल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. श्यामलाल | पिसरान गोरे
2. विष्णु |
3. बाबूलाल दत्तक पुत्र कुन्दन
4. जगन्नाथ पुत्र उमदी (मृतक)

4/1. लखन | पिसरान जगन्नाथ
4/2. ओमप्रकाश |
4/3. अखलेश |
4/4. मु0 कैलाशी |
4/5. मु0 झांजन बेबा जगन्नाथ

5. हरिमोहन पुत्र उमेदी – मृतक
6. रामनिवास पुत्र हरज्ञान –मृतक

6/1. सुरेद्र | पिसरान रामनिवास
6/2. मनोज |
6/3. सुनील |
6/4. संजय |
6/5. विधा बेबा रामनिवास

7. राधेश्याम | पिसरान हरज्ञान
8. महेश |
9. गजानंद |
10. घनश्याम |
11. जमुना |
12. जैशिव |
13. केदार | पिसरान प्रभू
14. राधारमन |
15. छोटेलाल |

सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान खेड़ी तहसील हिण्डौन

16. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी
2. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादी सं013ता15

निर्णय

दिनांक :– 20.08.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त में वादी बहिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं01 ता 12 बहिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादीगण सं013 ता 15 का 1/2 हिस्सा है। मृतक कुन्दन व गोरे के वारिसा प्रतिवादीगण सं03 ता 12 हैं। मृतक प्रभू और रामखिलडी के वारिसान प्रतिवादी सं013 लगायत 15 हैं। खसरा नम्बर 862 में एक चाह शामलाती बना हुआ है। जिसका उपयोग उपभेग चारों ही पक्ष करते चले आ रहे हैं। जिसका रकबा करीब 1 एयर है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा म्बर 860 रकबा 0. 02 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है। शेष आराजीयात पर प्रतिवादीगण काबिज है। महज खसरा म्बर 862 के उत्तरी सिरे पर बनेच ाह को करीब 0.01 है0 है, का चारों पक्ष उपयोग करते हैं। खसरा नम्बर 861 मौके पर कोई जमीन नहीं है बल्कि पूर्व में एक झेरा है। इसलिए उसका अलग खसरा नम्बर बना दिया है। जबकि वह अब जमीन लेबिल हो गयी है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 11.11.2003 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपने खेत खसरा नम्बर 859 दक्षिणी डोल जो कृषि भूमि डांगर के काम आ रही [illegible] का [illegible]ल खसरा नम्बर 860 के पश्चिमी डोल पर होकर डाल [illegible] होकर मौके पर आ गये और कहने लगे कि इस खेत पर अब [illegible] तुम्हारा कब्जा हीं करने देंगे। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

शामलाती है, इसे हम लेंगे। इस पर वादी ने कहा कि हम सभी मोके पर अलग अलग काश्त कर रहे हैं। इस नम्बर को मैं हमेशा से काश्त कर रह हूँ। मुझ गरीब आदमी को क्यों परेशान करते हो। इस पर सभी नाराज हो गये और आमादा फिसाद हुए और ऐलानियॉ धमकी दी कि हम तुझे इस जमीन में से कुछ भी नहीं देंगे। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं है। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 11.11.2003 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त की भूमि में मजाहमत मदाखलत करने पर बमुकाम हाडौली तहसील हिण्डौन इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि खसरा नम्बर 862 के उत्तरी छोर पर बनेच ाह में वादी बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं01 ता 12 बहिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं013 लगायत 15 को 1/2 के हिस्सेदार काश्तकार हैं। तथा दावा वादी खिलफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर तकास्मा बाबत् प्राथमिक डिक्री फरमाया जावे। बाद रिपोर्ट कमीश्नर फाईल डिक्री फरमायी जावे । वादी की खातेदारी में खसरा नम्बर 860 का रकबा 0.02 है0 की खातेदारी तकास्मा के आधार पर की जावे। समस्त रिकार्ड में अलग अलग खाते रेवन्यू रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किये जावें। तथा प्रतिवादीगण को मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत् पाबद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.01.2004 को प्रतिवादी सं0 2 लगायत 12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये गये तथा प्रतिवादी सं0 13,14,15 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा बकालतनामा पेश [illegible] दिनांक 27.09.2004 को प्रतिवादी सं013,14,15 की ओर से जवाबदावा पेश [illegible] जवाबदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं01 में आराजीयात का स्थित होना स्वीकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

लेकिन साबिक पुराने खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा भूमि के बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों` बिना मौका देखे ही नवीन खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन बनाये हैं जबकि पुराने रकबा के पोने 19 एयर होते हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों ने विवादग्रस्त भूमि का पोने ग्यारह एयर भूमि राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज की है, जिसको राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे, जिससे प्रतिवादी नं013,14,15 का अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त हो सके। इसलिए दावा वादी इल एडवाईज पेश होने से खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं02 कतई गलत हो के कारण अस्वीकार है, विवादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा कतई नहीं है। विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी ने अपना नाम फर्जीवाडे से एवं गैरकानूनी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करवाया है, वादी का नाम विवादग्रस्त भूमि में से हटाया जाना चाहिए। विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 13,14,15 का हिस्सा 1/2 मौके पर आज भी मौजूद है। जिसका इन्द्राज समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा शेष पुराने खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी सं01 ता 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 ता 12 का 1/4 हिस्सा है, जिसका इन्द्राज पुराने राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस मद में प्रतिवादी सं0 13 ता 15 का मृतक प्रभू व रामखिलाडी के वारिस होना स्वीकार है। खसरा नम्बर 862 गै0मु0 बंजड है, जिसमें जो चाह बना हुआ है, उससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि उस चाह में प्रतिवादी सं0 13,14,15 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं01 ता 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 ता 12 का 1/4 हिस्सा है। जो चाह सूखा पडा हुआ है। प्रतिवादी सं0 13 ता 15 ने नवीन खसरा नम्बर 861 में बोरिंग लगा रखी है, जो पानी के अभाव में बन्द पडी हुई है। वादी का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबावदावा के मद नं03 में [illegible] है कि वाद पत्र के मद नं03 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। [illegible] 860 रकबा 0.02 है0 पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि [illegible] खसरा नम्बर में प्रतिवादी सं0 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

ता 15 का 1/2 हिस्सा ए प्रतिवादी सं01 ता 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं04 ता 12 का 1/4 हिस्सा है और इसी के अनुसार कब्जा है। खसरा नम्बर 962 के उत्तरी सिरे पर बनेच ाह के रकबा 0.01 है0 से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। पुराने भूमि खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा था, जिसमें से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी सं013 ता 15 एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं01 ता 12 का था। बन्दोवस्त विभाग ने इस भूमि के रकबे को सेटिलमेन्ट करते वक्त नवीन खसरा म्बर 860,861,862 कुल रकबा 0.08 है0 बनाया, जिसके सम्पूर्ण भाग पर प्रतिवादी सं013,14,15 का आज दिन तक कब्जा मौजूद है। जिससे वादी व प्रतिवादी सं01 ता 12 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार से सेटिलमेन्ट विभाग ने पोने ग्यारह एयर भूमि रिकार्ड में कम कर दी गयी है। जो वादी एवं प्रतिवादी सं01 ता 12 ने अपने अपने खेतों में मिला लिया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि नवीन खसरा नम्बर के रकबा 8 एयर पर प्रतिवादी नं0 13,14,15 का ही कब्जा है और नवीन खसरा नम्बर 961 में प्रतिवादी सं0 13,14,15 की बोरिंग थी, जो नष्ट हो गयी है और भूमि लेबिल हो गयी है। प्रतिवादी सं0 13,14,15 ने अपने कब्जे की 1/2 हिस्से की भूमि में एक पुख्ता चबूतरा राजा बाबा (भूमिया) का 12गुणा 12 फिट का सीमेन्टेड बनवा रखा है। जिसमें राजाबाबा की मूर्ति (भूमिया) प्राण प्रतिष्ठा करवाकर स्थापित कर दी है तथा प्रतिवादी सं013,14,15 के कब्जे की भूमि में चार पेड बेरिया, एक पेड बबूल, एक पेड सहतूत एक पेड नीबू, एक पेड पापडी और एक पेड नीमा तथा कुआ के ढाने में पीपल का पेड मौके पर आज भी मौजूद. है। प्रतिवादी नं0 13,14,15 के 1/2 हिस्से में बने चाह में दक्षिण की तरफ का हिस्सा सम्पूर्ण का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। वादी का विवादग्रस्त भूमि पर 1/4 हिस्सा या किसी भी हिस्से में कोई कब्जा नहीं है तब वादी दिनांक 111.11. 2003 को सुबह 9 बजे या अन्य किसी दिन अपने खेत खसरा नम्बर 859 के दक्षिण की तरफ डोल (डांगर) पश्चिमी डोल पर होकर नहीं डाल रहा था फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं0 13,14,15 के आने का कोई सवाल ही एक राय होकर आने का उत्पन्न ही नहीं होता है। वादी का प्रतिवादी सं013,14,15 के 1/2 हिस्से की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई सम्बन्ध है। राजस्व रिकार्ड में वादी ने अपना 1/4 हिस्सा राजस्व कर्मचारियों से साज कर गैरकानूनी तरीके से करवा लिये हैं जो समस्त इन्द्राज वादी बमुकावले प्रतिवादी सं013,14,15 प्रभावहीन बेअसर व नल एण्ड बोईड हैं। वादी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण, प्रतिवादी सं013,14,15 द्वारा कोई धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ना ही प्रतिवादी सं0 13,14,15 कभी भी वादी पर आमादा फिसाद हुए हैं। वादी के फर्जी इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड की कुचेष्टा में कामयाब हो गया तो प्रतिवादी सं0 13,14,15 को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होगी। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं05 गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी को दिनांक 11.11.2003 को प्रतिवादी सं0 13,14,15 ने विवादग्रस्त भूमि में कोई बाधा नहीं पहुँचाई है क्योंकि वादी का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं06 गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी को वखिलाफ प्रतिवादी सं013,14,15 कोई बिनाय दावा पैदा नहीं होता है। दावा म्याद बाहर पेश किया गया है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं011 मय उप मद क,ख,ग,घ गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी वखिलाफ प्रतिवादी सं013,14,15 कोई रिलीफ किसी प्रकार की प्राप्त करने का मुश्तहक नहीं है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

उज्रात मजीद :–

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वादी के पिता मंगल के दो लडके दुर्गीलाल रामसहाय एवं एक [illegible] हैं, जो जीवित हैं। मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाने से [illegible] जिसके कारण दावा हाजा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र पर वादी का कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई हिस्सा है बल्कि समस्त भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी सं0 13,14,15 का कब्जा है। इसलिए वादी तकास्मा आराजीयात नहीं करा सकता है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी ने अपना नाम राजस्व कर्मचारियों से साज करके फर्जी बाडे से दर्ज करा लिया है, जो इन्द्राजात नल एण्ड बोईड एवं एवनिशियो हैं।

जबावदावा के मद नं015 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के पुराने खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा के सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके देखे पोने दस एयर रकबा बिना किसी अदेश के कर दिया है जो काबिले दुरूस्ती है।

जबावदावा के मद नं016 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0 13,14,15 ने अपने कब्जे की 1/2 हिस्से की भूमि में एक पुख्ता चबूतरा राजा बाबा (भूमिया) का 12गुणा 12 फिट का सीमेन्टेड बनवा रखा है। जिसमें राजाबाबा की मूर्ति (भूमिया) प्राण प्रतिष्ठा करवाकर स्थापित कर दी है तथा प्रतिवादी सं013,14,15 के कब्जे की भूमि में चार पेड बेरिया, एक पेड बबूल, एक पेड सहतूत एक पेड नीबू, एक पेड पापडी और एक पेड नीमा तथा कुआ के ढाने में पीपल का पेड मौके पर आज भी मौजूद है। प्रतिवादी नं0 13,14,15 के 1/2 हिस्से में बनेच ाह में दक्षिण की तरफ का हिस्सा सम्पूर्ण का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबावदावा के मद नं017 में दर्ज किया है कि दावा वादी म्याद बाहर पेश किया है।

अतः जबावदावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

1. आया वादग्रस्त आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। – जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 2 एयर एवं गै0मु0 चाह के 1/4 भाग पर वादी काबिज है। शेष आराजीयात पर प्रतिवादीगण काबिज व दखील हैं। – जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादीगण ने वादी को मद नं04 में धमकी दी है। – जिम्मे वादी

4. आया वादी व खिलाफ प्रतिवादी वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज दादरसी पाने का हकदार है। – जिम्मे वादी

5. आया के पिता मंगल के दो लडके दुर्गीलीाल रामसहाय एवं एक पुत्री रेशम जीवित है। उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण नुक्स आरिज होता है। जिसके कारण दावा हाजा खारिज योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादी

6. आया वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर वादी का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी द्वारा चाही गई दादरसी नहीं दी जा सकती है। इसलिए दावा हाजा काबिले खारिज है। – जिम्मे प्रतिवादी

7. आया दावा वादी मियाद बाहर पेश किया है, जो काबिले खारिज है। – जिम्मे प्रतिवादी

8. दादरसी

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 58 प्रदर्श–2, पेश किये है तथा जुवानी सहादत में वादी मनोहरी लाल ने स्वंय का बयान पी0डब्लू01, भानू पुत्र रामसिं जाति जाट निवासी शेरपुर का शपथ पी0डब्लू02, पेश कर बयान कराये हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं013 ता 15 ने दस्तावेजी सबूत में नकल खसरा गिरदावरी सं0 2055 से 58 प्रदर्श–डी–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–2, नकल जमाबन्दी सं0 203[illegible]–डी–3, नकल जमाबन्दी सं0 2034–37 प्रदर्श–डी–4, नकल [illegible] आधार वर्ष डी–5, नकल जमाबन्दी सं0 2026–29 प्रदर्श–डी–6, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में प्रतिवादी केदार पुत्र प्रभूदयाल डी0डब्लू01, रामकिशोर पुत्र रतनलाल जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन डी0डब्लू02 के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 13,14,15 के अधिवक्ता उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं0 13,14,15 ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :–आया वादग्रस्त आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 58 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मनोहरी पुत्र मंगल हि01/4, श्यामलाल विष्णु पिसरान गोरे कुन्दनराम श्रीलाल पि0 बिहारी हि01/4, प्रभू रामखिलाडी पि0 बंशी हि01/2 जाति ब्राहम्ण सा0खेडीहैवत खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 182 नि0दिं0 06.06.1999 के अनुसार मृतक प्रभू रामखिलाडी पि0 बंशी हि01/2 के बजाय केदारलाल राधारमन छोटेलाल पि0 प्रभू हि01/2 के नाम इन्द्राज परिवर्तन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

इसके विप[illegible] 15 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नक[illegible]–2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 707 मिन रकबा [illegible] के दौरान सेटिलमेन्ट नवीन खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं

नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 प्रदर्श–डी–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरज्ञान हरमोहन जगन्नाथ पि0 उमेदी गोरे कुन्दनराम श्रीलाल पि0 बिहारी हि0 1/2 बराबर, वंशी पुत्र मोहनलाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 431 दिनांक 20.11.1977 के द्वारा खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा में से हि0 1/4 हरज्ञान हरमोहन जगन्नाथ के बजाय मनोहरी पुत्र मंगल के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2034–37 प्रदर्श–डी–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मनोहरी पुत्र मंगल हि01/4, गोरे कुन्दनराम रामजीलाल पि0 बिहारी हि0 1/4 प्रभू रामखिलाडी पि0 वंशी हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खेडीहैवत के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सम्बत् 2047 आधार वर्ष डी–5 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मनोहरी पुत्र मंगल हि01/4, गोरे कुन्दनराम रामजीलाल पि0 बिहारी हि01/4, प्रभू रामखिलाडी पि0 बंशी हि01/2 जाति ब्राहम्ण सा0 खेडीहैवत खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2026–29 प्रदर्श–डी–6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हरज्ञान हरमोहन जगन्नाथ पि0 उमेदी गोरे कुन्दनराम रामजीलाल पि0 बिहारी हि0 1/2 बराबर, वंशी पुत्र मोहनलाल हि01/2 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

हाल खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 बोरिंग, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन के वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना साबित है। किन्तु उक्त भूमि पर वादी का 1/4 भाग पर कब्जा काश्त होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सेटिलमेंट से पूर्व उक्त विवादित आराजीयात का रकबा 15 बिस्वा था, जिसका हाल रकबा मात्र 8 एयर ही कायम किया गया है। साबिक रकबा 15 बिस्वा में प्रतिवादी सं013,14,15 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार थे अर्थात 9 एयर भूमि के खातेदार काश्तकार थे तथा प्रतिवादी ने अपने जबावदावा में अंकित किया है कि कमी रकबा को सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने वादी की खातेदारी के रकबा में बढा दिया है। इसलिए साबिक खसरा नम्बर 707 के दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बरान कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 पर प्रतिवादीगण सं0 13,14,15 का ही कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 12 का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। यदि प्रतिवादी सं01 ता 12 का कोई कब्जा काश्त होता तो दावे में उज्र करते। किन्तु उनके द्वारा कोई उज्र नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी को अपने तकास्मा के दावे में कमी रकबा की पूर्ति हेतु भी दावा में रिलीफ चाही जानी चाहिए थी। तब जाकर साबिक रकबा के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 13,14,15 को साबिक रकबा के अनुसार हाल रकबा 0.09 है0 मिलता। मौके पर प्रतिवादीगण 0. 09 है0 रकबा पर ही काबिज हैं। उक्त विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में तो दर्ज है किन्तु कब्जे की स्थिति साबिक रकबा एवं हाल रकबा के मिलान से स्पष्ट नहीं होती है। अतः यह तनकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण आंशिक रूप से निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 2 :— आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 2 एयर एवं गै0मु0 चाह के 1/4 भाग पर वादी काबिज है। शेष आराजीयात पर प्रतिवादीगण काबिज व दखील हैं। इस [illegible] साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। वादी के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 2 एयर एवं गै0मु0 चाह के 1/4 भाग पर वादी काबिज हो। शेष आराजीयात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण काबिज व दखील हैं। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात पर कब्जे के सम्बन्ध में पक्षकारान की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादीगण ने वादी को मद नं04 में धमकी दी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी एवं प्रतिवादीगण को साबिक रकबा 15 बिस्वा के मुकावले हाल रिकार्ड में 0.08 है0 ही कायम किया गया है जबकि 0.19 है0 हाल रिकार्ड में कायम किया जाना चाहिए था। इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा 0.11 है0 रकबा कम कायम गया है। सेटिलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी सं013,14,15 उक्त विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे तथा रकबा 0.09 है0 के खातेदार काश्तकार थे। किन्तु सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक रकबा 15 बिस्वा से हाल रकबा 0.08 है0 ही कायम किया गया है तो ऐसी स्थिति में किस पक्षकार का कब्जा काश्त माना जावे संदेहास्पद है। किन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 13,14,15 अपने जबावदावा में अपना कब्जा बताते हैं। ऐसे हालात में प्रतिवादीगण ने वादी को मद नं04 में दर्ज धमकी दिया जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 4 :– आया वादी व खिलाफ प्रतिवादी वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज दादरसी पाने का हकदार है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। तनकी नं0 1 ता 3 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 860 रकबा 0. 02 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा से कायम किये गये हैं। साबिक में वादी एवं प्रतिवादीगण का रकबा सेटिलमेन्ट से पूर्व 15 बिस्वा था [illegible] सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा [illegible] रकबा [illegible] कुल रकबा 0.08 है0 ही कायम किया गया है जबकि [illegible] 0.19 है0 कायम किया जाना चाहिए था। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रकार पक्षकारान को दौराने सेटिलमेन्ट लगभग 11 एयर रकबा दौराने सेटिलमेन्ट कम मिला है। प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में अंकित किया है कि उक्त कमी रकबा 11 एयर को वादी ने सेटिलमेन्ट कर्मचारियों से सांठ गांठ करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि में बढवा लिया है। जो इसी भूमि के लगमा है। साबिक खसरा नम्बर 707 रकबा 15 बिस्वा ग्राम हाडौली के दौराने सेटिलमेंन्ट कायम किये गये रकबा 0.08 है0 पर प्रतिवादी सं013 ता 15 अपना कब्जा साबिक रकबा 15 बिस्वा के 1/2 भाग के अनुसार बताता है। जबकि वादी उक्त विवादित आराजी के हाल रकबा 0.08 है0 में 1/4 भाग पर अपना कब्जा बताता है। सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को दिये गये कमी रकबा 0.11 है0 के सम्बन्ध में वादी ने अपने दावे में कोई जिक नहीं किया है । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी का उक्त विवादित आराजीयात के 1/4 भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो वादी सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती अर्थात कमी रकबा की पूर्ति कराने की वादी अपने दावा में रिलीफ चाहता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा वादी को साबिक रकबा के मुकावले वादी की खातेदारी में हाल रकबा बढा दिया है तथा प्रतिवादीगण के इस 8 एयर रकबा में से भी वादी और लेना चाहता है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में वादी अपने नाम 1/4 की खातेदारी होने के कारण मुताविक़ तकास्मा रकबा 0.08 है0 में से 0.02 है0 लेना चाहता है। साबिक रकबा पक्षकारान का 15 बिस्वा था और वर्तमान में हाल रकबा 0.08 है0 राजस्व रिकार्ड में दौराने सेटिलमेन्ट हो गया है किन्तु मौके पर तो साबिक रकबा के अनुसार ही हाल रकबा होगा । वादी को तकास्मा कराने से पूर्व सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती अर्थात कमी रकबा की पूर्ति कराने हेतु दावा में रिलीफ चाही जानी चाहिए थी। किन्तु वादी ने ऐसा नहीं किया है। ऐसे हालात में वादी, प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पत्र के मद 011 में दर्ज दादरसी पाने का हकदार साबित नहीं होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी [illegible] जाती है।

निर्णय तनकी नं05 :– आशा के पिता मंगल के [illegible] दुर्गालाल रामसहाय एवं एक पुत्री रेशम जीवित है। उन्हें पक्षकार [illegible] बनाया गया है। जिसके कारण नुक्स आरिज होता है। जिसके कारण दावा [illegible] खारिज योग्य है। इस तनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। उक्त विवादित आराजीयात मंगल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कभी नहीं रही है। ऐसे हालात में मंगल के वारिसान को दावा हाजा में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह तनकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 6 :– आया वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर वादी का कब्जा नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी द्वारा चाही गई दादरसी नहीं दी जा सकती है। इसलिए दावा हाजा काबिले खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 5 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात हाल रकबा 0.08 है0 पर पक्षकारान का कब्जा संदेहास्पद है। इस भूमि पर वादी का कब्जा माना जावे अथवा प्रतिवादी सं013,14,15 का कब्जा माना जावे। जब तक कि सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती अर्थात कमी रकबा की पूर्ति पक्षकारान अपने हक में नहीं करा लेते हैं। उक्त विवादित हाल रकबा 0.08 है0 पर कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं मानी जा सकती है। कब्जे के अभाव में वादी द्वारा वाद पत्र में चाही गई दादरसी नहीं दी जा सकती है। इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 7 :– आया दावा वादी मियाद बाहर पेश किया है, जो काबिले खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे है। वादी ने दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। कोई भी खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का विधिवत रूप से तकास्मा कराने के लिए कभी भी दावा पेश कर सकता है। जिसके लिए कोई मियाद अवधि निर्धारित नहीं है। ऐसे हालात में वादी का वाद मियाद के बिन्दू पर खारिज योग्य नहीं है। अतः यह तनकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी :– उपरोक्त वर्णित तनकीयात [illegible] के आधार पर वादी का वाद बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 860 रकबा 0.02 है0, 861 रकबा 0.01 है0, 862 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.09.09 15:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner